न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 1/2024

उनवान

सुरज्ञान पत्नी बुद्वराम जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
––– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: आदेश :– दिनांक :– 1.7.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल देराठू, तहसील नसीराबाद के हाल खाता संख्या 1285/334 के खसरा नम्बर 6389 रकबा 0.18 किस्म चाही 2 की आराजी प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। प्रार्थी के पास उक्त आराजी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। तथा इसके अडवा अप्रार्थी के खसरा नम्बर 5269, 6428, 6385, 6386, 6388 में से आवागमन किया जाता है। उक्त आराजी सिवायचक व चरागाह है। इस मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 5269, 6428, 6385, 6386, 6388 में से 30 फिट चौडा मार्ग उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम व पटवार मण्डल देराठू के हाल खसरा नम्बर 6389 रकबा 0.18 की आराजी प्रार्थी की एकल खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदाी आराजी पर आवागमन हेतु ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 5269, 6428, 6385, 6386, 6388 में से रास्ता चाहा है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 5269 चरागाह है, जो राजस्व अभिलेख में ग्राम पंचायत देराठू चरागाह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत देराठू को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में चरागाह भूमि में रास्ता दिये [illegible] प्रावधान नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित शेष खसरा नम्बर सिवायचक [illegible] है। [illegible] खसरा नम्बर 6428 में से 0.0152, 6385 में से 0.0123, 6386 में से 0.0057, 6388 में से 0.0[illegible] रकबा रास्ता हेतु वांछित है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग में से [illegible] 6389 में से मात्र 0.0057 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:58:17 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चरागाह दर्ज है। शेष रकबा सिवायचक है। प्रार्थी सिवायचक आराजी में से 30 फिट चौडा मार्ग प्राप्त करने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 5269 चरागाह होने के कारण प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर में से मार्ग प्राप्ति का अधिकारी नही है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–3 विभाग क्रमांक :– प0 2 (151) राज–3 /2022 दिनांक 03.02.23 के अनुसार चरागाह भूमि में भूमि के बदले भूमि के तहत भी निजी खातेदार को मार्ग नही दिया जा सकता है। किन्तु चरागाह भूमि से प्रार्थी कृषि कार्य के लिये आवागमन कर सकता है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 6428 में से 0.0152, 6385 में से 0.0123, 6386 में से 0.0057, 6388 में से 0.0488 रकबा सिवायचक खाते में गै.मु. रास्ता (30 फिट चौडा) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद प्रार्थी द्वारा रास्तें की भूमि के बदले अक्षरे 100066/– अक्षरे एक लाख छियासठ रूपये राजकोष में जमा होने के बाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:58:17 IST
Reason: SelfAttested